RAJYA SABHA

Monday, the 11th March, 1991/20th Phalguna 1912 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **The Deputy Chairman** in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

THE DEPUTY CHAIRMAN: I refer with profound sorrow to the passing away of Shrimati Purabi Mukhopadhyay, a former Member of this House on the 10th March, 1991.

Shrimati Purabi Mukhopadhyay was born at Calcutta in July 1923 and had her higher education at Surendranath Law College and Post Graduate Scottish Church College. Shrimati Mukhopadhyay took part in the freedom movement when she was still in her teens. She was an eminent student leader and was associated with Jugantar Group of Revolutionaries. An able Administrator and a dedicated social worker, she was connected with a number of social welfare organisations.

She had a long parliamentary career starting with the membership of the West Bengal Legislative Assembly. She served that Assembly from 1952 to 1968 and during this period she was also the Minister holding several portfolios as Deputy Minister, Minister of State and Cabinet Minister. She represented the State of West Bengal in this House from April 1970 to April, 1982.

Shrimati Mukhopadhyay was General Secretary of the All India Congress Committee and also the President of West Bengal Pradesh Congress Committee. She was the Chairman of the West Bengal Khadi Board and Small Savings Board. In the death of Shrimati Mukhopadhyay, the country has lost an able administrator, distinguished politician and a dedicated social worker.

We deeply mourn the passing away of Shrimati Purabi Mukhopadhyay.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. **Report and Accounts (1989-90) of the Birds Jute and Exports Limited, Calcutta and related papers.**

II. **Report and Accounts (1989-90) of the Carpet Export Promotion Council, Madras and related papers.**

III. **Report and Accounts (1989-90) of the Handloom Export Promotion Council, Madras and related Papers.**

IV. **Report and Accounts (1989-90) of the Export Promotion Council for Handicrafts New Delhi and related papers.**

V **Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Amendment Rules, 1990.**

वस्त्र तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकुमदेव नारायण यादव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

I. (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :-

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित

(ii) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।

[श्री हुकुमदेव नारायण यादव]

[पुस्तकालय में रखी गई (1) और (2) के लिए देखिए संख्या एल.टी.—2209/91]

II निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :-

(क) 1989–90 के वर्ष के लिये कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नोयडा का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) परिषद् के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या एल.टी.—2212/91]

III (क) 1989-90 के वर्ष के लिये हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) परिषद् के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (क) से (ग) के लिए देखिए संख्या एल०टी० 2210/91]

IV (क) 1989–90 के वर्ष के लिये हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) परिषद् के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या एल.टी.—2211/91]

V भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियम) अधिनियम, 1981 की धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियम) संशोधन नियम, 1990 का प्रकाशन करने वाली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 776(अ) दिनांक 11 अक्तूबर, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल.टी 2173/91].

I. Report (1989-90) of the University of Hyderabad and related papers.

II. Report (1989-90) of the University of Delhi, Delhi and related papers.

III. Report and Accounts (1989-90) of the National School of Drama, New Delhi and related papers

IV. Notification of the Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Education).

श्री हुकुमदेव नारायण यादव : महोदया, मैं श्री राजमंगल पाण्डेय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

I. हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 28 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :-

(1) (i) 1989 90 के वर्ष के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन

(ii) विश्वविद्यालय के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के करणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गई । (1) और (2) के लिए देखिए संख्या एल.टी.—2233/91.]